नागरिक अधिकार पत्र
(Citizen Charter)

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड
(www.agriculture.uk.gov.in)

"यह नागरिक अधिकार पत्र कृषि विभाग के उद्देश्यों, मूल्यों, मानकों एवं उत्तराखण्ड कृषि नीति 2011 के द्वारा प्रख्यापित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रतिबद्धता का लेख पत्र है। कृषि विभाग कल्याणकारी योजनाओं में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुये उनके समग्र विकास हेतु संकल्पबद्ध है।"

विभाग का उद्देश्य

''उन्नत बीजों एवं नवीनतम तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य एवं प्रबन्धन, समेकित कीट एवं रोग प्रबन्धन, सिंचाई सुविधाओं का विकास, आधुनिक कृषि यन्त्रों का प्रयोग एवं जैविक कृषि आदि के माध्यम से कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों में समन्वय स्थापित करते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाना है।''

विजन (VISION)

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सतत् कृषि विकास के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुये उत्तराखण्ड प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषकों की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मिशन (Mission)

कृषक सहभागिता से कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से लक्षित विकास दर को प्राप्त करना तथा कृषि क्षेत्र को आयपरक व्यवसाय बनाना।

कृषि विभाग की प्रतिबद्धतायें

- उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाते हुये कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तरता एवं वृद्धि बनाये रखने हेतु कार्य करना।
- कृषकों की आय दोगुना करने के लिये कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों में सम्बन्धित विभागों, विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिकों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना।
- प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये कलस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करना।
- नवीनतम एवं उन्नत बीजों तथा कृषि तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि करना, ताकि निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति की जा सके।
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इनके पोषणीय, व्यवसायिक एवं औषधीय महत्व के दृष्टिगत प्रोत्साहित करना।
- सभी कृषकों की कृषि जोतों की मृदा का परीक्षण करना तथा उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये मृदा परीक्षण की वैज्ञानिक संस्तुति के आधार पर पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- नवनीतम कृषि पद्धतियों और तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार प्रदर्शन, प्रशिक्षण, गोष्ठियों एवं अध्ययन भ्रमण के माध्यम से करना।
- राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन करना, बीज प्रतिस्थापना दर को बढ़ाने हेतु आवश्यक बीजों की व्यवस्था करना। समय से बीजों की आपूर्ति कृषि निवेश केन्द्रों पर करते हुये कृषकों को उपलब्ध कराना।
- कीट–रोग एवं खरपतवारनाशक औषधियों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि की समय से व्यवस्था करना ताकि कृषकों को समय से उपलब्ध हो सके।
- खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करने, पशु एवं मानव श्रम की निर्भरता को कम करने, समय से कृषि कार्यों के सम्पादन तथा कृषि में नवीन तकनीकी के उपयोग हेतु नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कम मूल्य एवं न्यूनतम किराया पर अधिक यन्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करना।
- वर्षा जल के अधिक से अधिक संचय एवं संरक्षण हेतु संरचनाओं का निर्माण कराना। संचित जल का अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई के लिये प्रयोग करने हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहित करना।
- सिंचाई के साथ–साथ आय में वृद्धि हेतु बहुउददेशीय जल सम्भरण तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
- कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक एवं कीट–रोगनाशी रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश–1957, कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बीज अधिनियम के अंतर्गत समय–समय पर उर्वरकों, रसायनों एवं बीजों के नमूनो का प्रमाणिक परीक्षण करना। अमानकों के प्रयोग को रोकना तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही करना।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं, कीटनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं तथा बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के मानकों को बनाये रखना।

- अतिवृष्टि, भूस्खलन आदि से कृषि भूमि को बचाने हेतु मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना।
- राज्य में कृषि फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता से सम्बन्धित आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रकाशन करना।
- अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना।
- कृषि से जुड़े रेखीय विभागों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, शोध संस्थानों एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कृषि विकास को गति देना।
- कृषि में उच्च तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सूचना एवं संचार तंत्र को विकसित करना।
- केन्द्र पोषित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को पहुंचे, समय से धनराशि प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रदेश/क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार प्लान/परियोजनायें तैयार करना तथा उनका अनुमोदन एवं क्रियान्वयन करना।
- जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाते हुये जैविक प्रमाणीकरण तथा उत्पादन में वृद्धि करते हुये उनके विपणन की समुचित व्यवस्था करना।
- निःशुल्क दूरभाष (टोल–फ्री नम्बर) के माध्यम से कृषकों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं का त्वरित समाधान करना।
- कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी देना तथा कृषि निवेशों की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश/कृषि केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

प्रदेश में कृषि –एक दृष्टि में

उत्तराखण्ड प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य स्थापना के समय कृषि क्षेत्र 7.70 लाख हेक्टेयर था जो कि घटकर 6.38 लाख हेक्टेयर रह गया है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विगत 19 वर्षो में कुल 1.32 लाख हेक्टेयर की कमी आयी है।

गत 10 वर्षों में कृषि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

(क्षेत्रफल– लाख हैक्टेयर में, उत्पादन– लाख मैट्रिक टन में)

वर्ष	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्रफल	कुल खाद्यान्न उत्पादन	कुल तिलहन उत्पादन	कुल उत्पादन
2001-02	7-70	12-25	16-47	0-15	16-62
2006-07	7.65	12.12	17.23	0.23	17.46
2007-08	7.55	11.87	17.23	0.23	17.46
2008-09	7.53	11.88	16.91	0.21	17.12
2009-10	7.41	11.66	17.27	0.28	17.55
2010-11	7.23	11.70	17.83	0.26	18.09
2011-12	7.14	11.32	18.04	0.27	18.31
2012-13	7.06	11.24	18.11	0.34	18.45
2013-14	7.01	10.99	17.75	0.26	18.01
2014-15	7.00	10.97	16.25	0.26	16.51
2015-16	6.98	10.82	17.56	0.28	17.84
2016-17	6.90	10.82	18.75	0.27	19.02
2017-18	6.73	10.59	19.21	0.26	19.47
2018-19	6.48	10.29	18.60	0.23	18.83
2019-20	6.38	10.24	18.86	0.24	19.10

*अनुमानित

वर्षवार शुद्ध एवं कुल बोया गया क्षेत्रफल निम्न तालिका में अंकित है :–

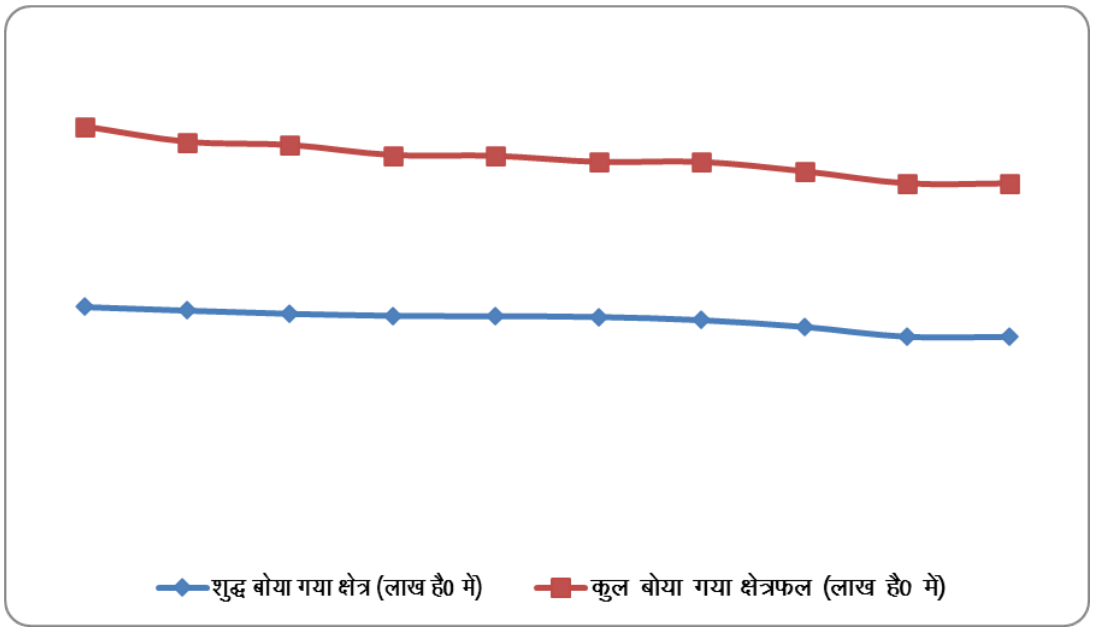

कृषि क्षेत्र में लगातार आ रही कमी चिंता का विषय है। भविष्य में बढ़ती हुयी जनसंख्या के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन बढ़ाने के लिये कतिपय ठोस उपाय सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें परती भूमि का उपयोग, उन्नत प्रजातियों एवं तकनीकों का प्रयोगा, कलस्टर, कृषि, भूमि एवं जल प्रबंधन जैसे नीतिगत उपायों के साथ–साथ कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों के उचित समन्वयन के साथ रणनीतिक पहल किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत पर्वतीय कृषि के अंतर्गत आता है, जबकि प्रदेश की कुल सिंचित कृषि भूमि (540999 है0) का लगभग 14 प्रतिशत (76228है0) ही पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्र की खेती वर्षा पर ही निर्भर है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र में कृषि की दशायें बिल्कुल भिन्न हैं। मैदानी क्षेत्र की मृदा उपजाऊ है तथा इस क्षेत्र में किसानों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों को उपयोग में लाते हुये कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा की कमी, छोटी एवं बिखरी हुयी जोतें तथा सीढीनुमा खेतों के कारण विकसित तकनीकों एवं मशीनरी का उपयोग सीमित हो है। फलतः पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता मैदानी क्षेत्रों की तुलना में आधे से भी कम है। लेकिन दूसरी ओर यह भी एक सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र मृदा एवं जलवायु की विविधता के कारण कम जल ग्रहण करने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों यथा दालों, मक्का, मंडुवा, सॉवा, रामदाना, बेमौसमी सब्जियों, मिर्च मसालों, सगंध एवं औषधीय पादपों के उत्पादन के लिये सर्वथा उपयुक्त है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश में जैविक खेती को विस्तार दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये अभी बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है।

भूमि उपयोगिता विवरण–उत्तराखण्ड में भूमि उपयोगिता विवरण आधार वर्ष 2018–19

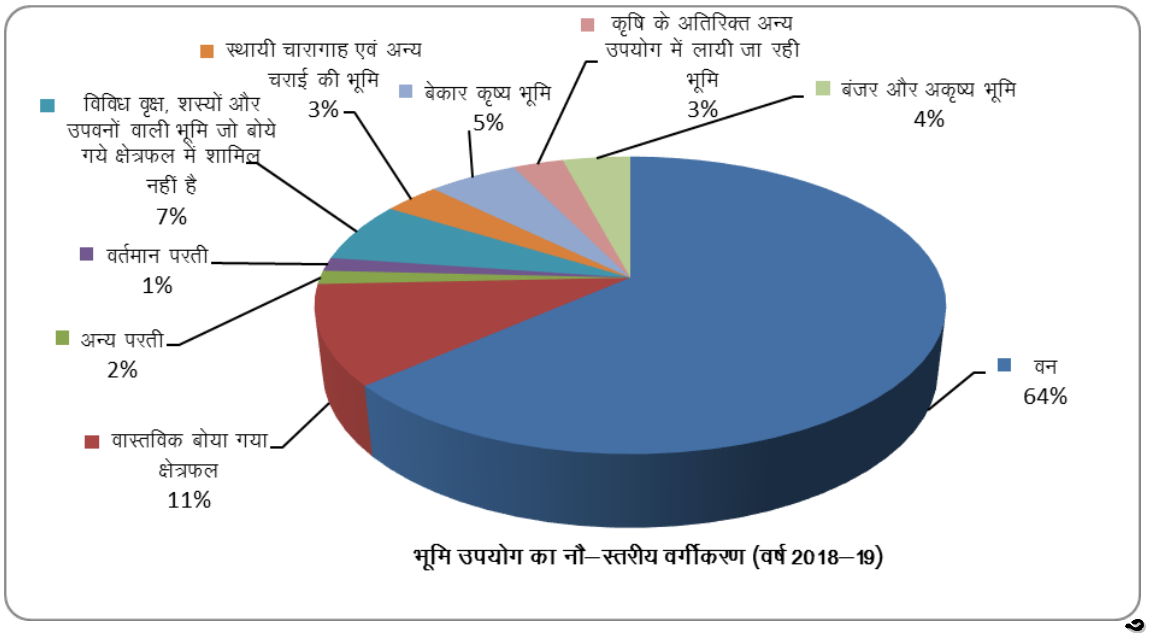

वर्तमान में वर्ष 2018–19 के भूमि उपयोगिता अनुमानों के आधार पर कुल क्षेत्रफल में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 11 प्रतिशत (6.48 लाख हैक्टेयर) है। परती भूमि 2 प्रतिशत (1.77 लाख हैक्टेयर) है, वृक्ष उपवनों आदि के अन्तर्गत 7 प्रतिशत, चरागाह एवं चराई भूमि 3 प्रतिशत, बेकार कृष्य भूमि 5 प्रतिशत, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि 3 प्रतिशत, बंजर एवं अकृष्य भूमि 4 प्रतिशत (2.49 लाख हैक्टेयर) तथा वनों का क्षेत्रफल 64 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्रों में परती भूमि में लगातार वृद्धि हो रही है। अतः कृषि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिये परती भूमि को क्रमबद्ध तरीके से कृषि के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है।

सिंचाई–

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य में कृषि का अधिकॉश सिंचित क्षेत्र मैदानी भागों में है, कुल 3.23 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 2.86 लाख (लगभग 88.65 प्रतिशत) हैक्टेयर क्षेत्र मैदानी भाग में तथा 36646 हैक्टेयर क्षेत्र (लगभग 11.35 प्रतिशत) पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता है। मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई का घनत्व काफी अधिक है जिसके कारण मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र की फसलों की उत्पादकता में भारी अंतर है। प्रदेश का अधिकॉश भाग पर्वतीय होने के कारण इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की संभावनायें बहुत ही सीमित हैं। अतः वर्षा जल संरक्षण/संभरण संरचनाओं के अधिकाधिक निर्माण तथा बौछारी सिंचाई हादि से अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मल्टीपरपज वाटर हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना से जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा वहीं कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल संग्रह टैंक, चैकडैम, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा हैं राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन–RAD में भी जल संचय एवं जल संग्रह संरचनायें बनाए जा रहे हैं, इन सबसे सिंचाई क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के भूमि उपयोगिता के आधार पर जनपदवार सिंचित क्षेत्र एवं बोया गया क्षेत्रफल का विवरणः–

क्र. सं.	जनपद	बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल	वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत	बोया गया कुल क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	चमोली	31250	1611	5.16	47184	2734	5.79
2	देहरादून (पर्वतीय)	13133	1364	10.39	18577	2035	10.95
	देहरादून (मैदानी)	22224	15840	71.27	33253	24897	74.87

	देहरादून (योग)	35357	17204	48.66	51830	26932	51.96
3	हरिद्वार	114077	109986	96.41	160494	153291	95.51
4	पौडी गढवाल	44951	4865	10.82	64737	8412	12.99
5	रूद्रप्रयाग	19329	2062	10.67	31345	4053	12.93
6	टिहरी	50656	7444	14.7	73287	13891	18.95
7	उत्तरकाशी	28893	4774	16.52	41013	8231	20.07
गढ़वाल मण्डल		**324513**	**147946**	**45.59**	**469890**	**217544**	**46.3**
8	अल्मोड़ा	68578	4004	5.84	97142	7547	7.77
9	बागेश्वर	22356	4784	21.4	39876	9511	23.85
10	चम्पावत	15891	1595	10.04	25068	2868	11.44
11	नैनीताल (पर्वतीय)	17814	1460	8.2	24945	2210	8.86
	नैनीताल (मैदानी)	23684	23467	99.08	42372	34558	81.56
	नैनीताल (योग)	41498	24927	60.07	67317	36768	54.62
12	पिथौरागढ़	37209	2683	7.21	65331	4464	6.83
13	ऊधमसिंहनगर	137743	137034	99.49	264390	260949	98.7
कुमांऊ मण्डल		**323275**	**175027**	**54.14**	**559124**	**322107**	**57.61**
उत्तराखण्ड (पर्वतीय)		**350060**	**36646**	**10.47**	**528505**	**65956**	**12.48**
उत्तराखण्ड (मैदानी)		**297728**	**286327**	**96.17**	**500509**	**473695**	**94.64**
उत्तराखण्ड योग		**647788**	**322973**	**49.86**	**1029014**	**539651**	**52.44**

प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्रफल 6.48 लाख हैक्टेयर है, जिसका लगभग 50 प्रतिशत सिंचित है। मैदानी कृषि का 96 प्रतिशत एवं पर्वतीय कृषि का 10.50 प्रतिशत सिंचित है। पर्वतीय क्षेत्र के 03 जनपदों चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ में 10 प्रतिशत से भी कम सिंचित हैं। 06 जनपदों में 10 से 22 प्रतिशत के मध्य सिंचित क्षेत्रफल है, जिसमें जनपद पौड़ी गढवाल, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चम्पावत एवं बागेश्वर सम्मिलित है। मैदानी क्षेत्रों में जनपद नैनीताल का मैदानी क्षेत्र एवं जनपद ऊधमसिंहनगर लगभग पूर्ण सिंचित है। जनपद हरिद्वार 96.41 प्रतिशत एवं देहरादून का मैदानी क्षेत्र 71.27 प्रतिशत सिंचित है।

कृषि जोतें

राज्य के अंतर्गत विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी एवं बिखरी हुई जोतों की बहुलता कुल जोत में लगभग 92 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों की हैं। प्रदेश में सबसे अधिक 6.59 लाख जोत 1 हैक्टेयर से कम अर्थात सीमान्त कृषकों की हैं। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त जोतों की बहुलता के साथ–साथ बिखरी हुयी जोतें हैं।अनुपस्थित भू–स्वामियों (absentee landlords) की संख्या में वृद्धि हुई है।विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया जा रहा है–

क्रियात्मक जोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109266	40279	15878	6081	532922	236738	**659062**	**283440**
लघु (1.0 हे0 से 2.0 हे0 तक)	11178	15294	4374	6348	133022	184246	**148815**	**206225**
सीमान्त व लघु जोतों का योग	120444	55573	20252	12429	665944	420984	807877	489665
कुल जोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिशत	97.29	85.24	71.98	26.79	91.51	67.63	91.67	65.52
अर्द्ध–मध्यम (2.0 हे0 से 4.0 हे0 तक)	3001	7719	4570	13097	50311	134265	58044	155537

क्रियात्मक जोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
मध्यम (4.0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	346	1787	3085	17872	10961	58544	14496	78834
बृहद (10.0 हे0 से अधिक)	9	114	228	2996	530	8649	888	23284
कुल योग–	**123800**	**65193**	**28135**	**46394**	**727746**	**622442**	**881305**	**747320**

क्रापिंग पैटर्न

वर्ष 2019–20 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 24 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 8 प्रतिशत, गन्ना के अन्तर्गत 9 प्रतिशत, सांवा के अन्तर्गत 5 प्रतिशत, कुल दालों के अंतर्गत 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 3 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

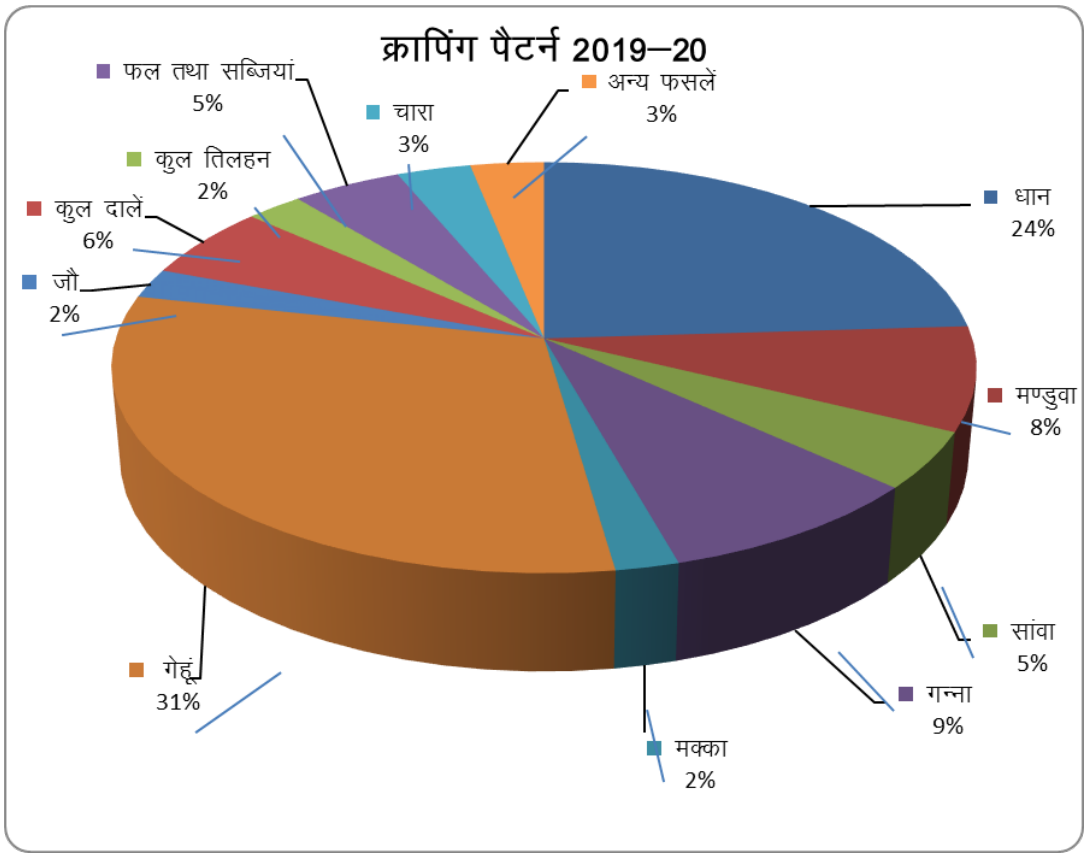

वर्ष 2018–19 के भूमि उपयोगिता ऑकडों के आधार पर

फसल सघनता

वर्ष 2018–19 के अनुसार प्रदेश की फसल सघनता 158.85 प्रतिशत रही है। गढ़वाल मंडल की फसल सघनता 144.80 प्रतिशत रही, जबकि कुमाँऊ मण्डल की फसल सघनता 172.96 प्रतिशत रही। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में एक वर्ष में दो फसलें बोयी जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ की फसल सघनता अन्य जनपदों की तुलना में अधिक है। जनपद ऊधमसिंहनगर में तीन फसलें तक ली जा रही हैं, जिसके कारण प्रदेश में जनपद ऊधमसिंहनगर की फसल सघनता सबसे अधिक 191.94 प्रतिशत है।

जनपद	फसल सघनता	जनपद	फसल सघनता
चमोली	150.99	अल्मोड़ा	141.65
देहरादून	146.59	बागेश्वर	178.37
हरिद्वार	140.63	चम्पावत	157.75
पौड़ी गढ़वाल	144.02	नैनीताल	162.22
रूद्रप्रयाग	162.17	पिथौरागढ़	175.58
टिहरी गढ़वाल	144.68	ऊधमसिंहनगर	191.94
उत्तरकाशी	141.95		
उत्तराखण्ड की औसत फसल सघनता –158..85			

उत्तराखण्ड में गत 05 वर्षों के मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 तक मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्न प्रकार रही है :–

तालिका संख्या–05

क्षेत्रफल– हेक्टेयर, *उत्पादन– मीट्रिक टन* *औसत उपज– कुन्तल/हेक्टेयर*

क्र. सं.	फसल	वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21**
1	चावल (खरीफ)	क्षेत्रफल	251498	246539	243666	229920	238469
		उत्पादन	582720	620027	574963	597655	658747
		उत्पादकता	23.17	25.15	23.60	25.99	27.62
2	मक्का (खरीफ)	क्षेत्रफल	21692	20806	21266	21234	20031
		उत्पादन	36649	42563	40107	40799	41545
		उत्पादकता	16.90	20.46	18.86	19.21	20.74
3	मण्डुवा	क्षेत्रफल	106365	101504	94004	83988	88577
		उत्पादन	157402	138836	114457	120083	129277
		उत्पादकता	14.80	13.68	12.18	14.30	14.59
4	सांवा	क्षेत्रफल	51410	46626	48151	46408	42061
		उत्पादन	51410	63483	62996	64093	62266
		उत्पादकता	14.07	13.62	13.08	13.81	14.80
5	रामदाना	क्षेत्रफल	6057	6534	5678	5808	5799
		उत्पादन	6144	6910	5903	6268	7723
		उत्पादकता	10.14	10.58	10.40	10.79	13.32
7	गेहूं	क्षेत्रफल	339572	330401	307452	315819	316000
		उत्पादन	891700	929884	927657	903515	904000
		उत्पादकता	26.26	28.14	30.17	28.61	28.61
8	ज़ौ	क्षेत्रफल	19834	19216	18926	24017	24017
		उत्पादन	24622	25480	27023	34357	34357
		उत्पादकता	12.41	13.26	14.28	14.31	14.31
13	कुल धान्य	क्षेत्रफल	813507	787012	756466	745645	753000
		उत्पादन	1828676	1873030	1805817	1829038	1898000
		उत्पादकता	22.48	23.80	23.87	24.53	25.21
14	कुल दालें	क्षेत्रफल	54370	55377	58367	59333	65468
		उत्पादन	45825	47560	54389	56770	71272
		उत्पादकता	8.43	8.59	9.32	9.57	10.92
15	**कुल खाद्यान्न**	**क्षेत्रफल**	**867877**	**842389**	**814833**	**804978**	**818000**
		उत्पादन	**1874501**	**1920590**	**1860206**	**1885808**	**1969000**
		उत्पादकता	**21.60**	**22.80**	**22.83**	**23.43**	**24.07**
16	कुल तिलहन	क्षेत्रफल	28274	27189	24801	25140	26000
		उत्पादन	27245	25749	23255	24083	28000
		उत्पादकता	9.64	9.47	9.38	9.58	10.77

**अनन्तिम अनुमान* ***द्वितीय अग्रिम अनुमान*

मुख्य फसलों के अन्तर्गत चावल, गेहूँ, जौ एवं दलहन की उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुयी है। पर्वतीय प्रजातियों मण्डुवा, सांवा, रामदाना के उत्पादन में उतार–चढ़ाव बना रहा है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक कारणों विशेषकर, बादल फटने या अतिवृष्टि के कारण भू–स्खलन होने, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान पहुँचाये जाने, कम वर्षा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन आदि प्रमुख कारण रहे हैं।

वर्षा –

वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक तीन वर्षों के वर्षा के आंकड़ों को देखते हुए वर्ष 2019–20 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 में अच्छी वर्षा रही। वर्ष 2019–20 में सामान्य औसत वर्षा के सापेक्ष 74 प्रतिशत वर्षा आंकी गयी। उत्पादन में वर्ष का कुल उत्पादन 18.85 लाख मैट्रिक टन (अनुमानित) रहा, जो गत वर्ष 2018–19 से अधिक है। वर्ष 2018–19 में निम्न तालिकानुसार माह फरवरी 2019 तक 168 प्रतिशत वर्षा रही, जो गतवर्ष से अधिक है।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक माहवार सामान्य औसत वर्षा के सापेक्ष वास्तविक वर्षा के आंकड़े :–

(मि०मी० में)

माह का नाम	सामान्य औसत वर्षा (मि०मी०)	2017–18		2018–19		2019–20	
		वास्तविक	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक	प्रतिशत वर्षा
अप्रैल	29	49	172	33	115	40	141
मई	49	42	87	20	41	67	136
जून	173	163	95	133	77	70	40
जुलाई	419	414	99	340	81	208	50
अगस्त	417	286	68	405	97	282	68
सितम्बर	202	201	100	176	87	171	85
अक्टूबर	35	1	2	4	11	18	52
नवम्बर	7	0	0	15	215	16	234
दिसम्बर	21	14	67	1	4	45	208
जनवरी	52	11	22	62	118	97	187
फरवरी	60	9	15	100	168	32	54
मार्च	43	17	38	21	49	67	154
योग	**1508**	**1207**	**80**	**1309**	**87**	**1113**	**74**

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण

प्रारूप–1

क्र0 सं0	सेवा / योजना का नाम	सेवा का विवरण	गाईडलाईन के अनुसार अनुदान / कृषक अंश के मानक		सेवा हेतु संपर्क किये जाने वाले पदाधिकारी का विवरण	सेवा हेतु समयावधि	अभ्युक्ति
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	खरीफ 2016 से प्रारम्भ हुई है। किसी अप्रात्याशित घटना से संसूचित फसल में होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। योजना के अन्तर्गत बुवाई न हो पाने की स्थिति में, फसल की अवधि में कोई प्राकृतिक आपदा बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होने की स्थिति में, प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश के मामलों में, स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन के कारण कृषकों की बीमित फसलों को क्षति होने की दशा में वित्तीय सहायता प्रदान करना।	मौसम	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम की दरें	1. जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी	संसूचित फसल की बीमित करने का समय मौसम खरीफ में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक तथा मौसम रबी में 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर	प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
			खरीफ	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो	2.ऋणी कृषकों हेतु जिस बैंक शाखा द्वारा कृषक का बीमा किया गया है, उक्त शाखा का शाखाध्यक्ष।		
			रबी	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो	3. ऋणी तथा अऋणी कृषकों हेु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि।		
			खरीफ एवं रबी	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो			
2	परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY)	कृषकों को जैविक कृषि से सम्बन्धित प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, जैव निवेशों का वितरण, कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता, जैविक	निःशुल्क		विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की

		उत्पादों की मार्केटिंग हेतु सुविधायें प्रदान की जा रही है।				जा रही है।
3	एडोपशन एण्ड सर्टिफिकेशन अंडर ओर्गेनिक फार्मिंग (Adoption and Certification under Organic Farming)	कृषकों को जैविक कृषि से सम्बन्धित प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट, कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण, जैव निवेशों का वितरण, जैविक प्रमाणीकरण की सुविधायें प्रदान की जा रही है।	कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण 50 % अनुदान पर एवं अन्य सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जा रही है।	विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
4	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHC)	संतुलित उर्वरक / खाद के उपयोग हेतु दो वर्ष के चक्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	8.82 लाख जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये गयें हैं।	न्याय पंचायत प्रभारी / विकास खण्ड प्रभारी	01 माह	योजना भारत–सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार संचालित है।
5	राष्ट्रीय सत्त कृषि मिशन वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (NMSA-RAD)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषिक एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना	सामूदायिक कार्यो साइलेज इकाईयों हेतु 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 40 – 50 % अनुदान देय की सुविधायें है।	न्याय पंचायत प्रभारी / विकास खण्ड प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
6	विनिर्माण / एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	विनिर्माण / एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	–	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	45 दिन	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही
7	राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र	राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	–	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	30 दिन	

	निर्गत किया जाना					
8	जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना	जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिन	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही
9	विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	संयुक्त कृषि निदेशक, गु0नि0, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	30 दिन	कीटनाशी अधिनियम–1968 तथा कीटनाशी नियमावली–1971 के अनुसार संचालित किया जा रहा है।
10	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	कृषि रक्षा अधिकारी	15 दिन	
11	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	–	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिन	बीज अधिनियम–1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश–1982 के अन्तर्गत कार्यवाही
12	बीज ग्राम योजना	योजना के अन्तर्गत कृषकों को अनुमानित मुल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाते हुये बीज उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान कर बीज की सुरक्षित भण्डारण के लिये बुखारी वितरण	धान्य फसलों के बीज वितरण में 50 % तथा दलहन एवं तिलहन के बीज वितरण में 60 % अथवा अधिकतम निर्धारित मूल्य जो भी कम हो का अनुदान देय है।	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	15 दिन	बीज अधिनियम–1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश–1982 के अन्तर्गत कार्यवाही
13	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM)	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना	फार्म मशीनरी बैंक वितरण में 80 % एवं अन्य कृषि यन्त्रों में 40–50 % केन्द्र सरकार से तय मानकों के अधिकतम सीमा तक या जो कम हो।	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड SMAM की लाईन के अनुसार

						संचालित की जा रही है। यह प्रक्रिया ऑन लाईन की जा रही है।
14	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्रों को बढ़ावा	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना		विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से प्राप्त गाइड SMAM की लाईन के अनुसार संचालित की जा रही है।
15	per drop more crop – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना other intervention	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप में जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर / चैक डेम / डक आउट पॉण्ड / इरीगेशन चैनल 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 50 % अनुदान देय की सुविधायें है	विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	1 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।
16	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, तिलहन)	क्षेत्रीय विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों को चलाकर चावल, गेहूँ मोटा अनाज एवं दलहन की कुल उत्पादन में वृद्धि करना।	नमसा मानक के अनुसार सामुहिक टैंक निर्माण पर 2.5 लाख तथा जल संग्रहण टैंक में 100 % तथा अन्य कार्यो हेतु 50% अनुदान देय की सुविधायें है	विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।
17	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA)	उन्नत एवं नवीन तकनीकों के प्रचार प्रसार से तथा अध्ययन भ्रमण से कृषकों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि तथा प्रशिक्षित कृषका संख्या में वृद्धि तथा आय में वृद्धि	कृषक प्रशिक्षण / एक्सपोजर विजिट / फसल प्रदर्शन / किसान मेला / किसान गोष्ठी, फार्मफील्ड स्कूल, समूह क्षमता विकास, कृषक पुरस्कार (विकासखण्ड, जिला, राज्य स्ततरीय) आदि	विकासखण्ड प्रभारी / न्यायपंचायत प्रभारी	01 वर्ष	योजना भारत–सरकार से निर्गत गाइड लाईन के अनुसार संचालित है।

प्रारूप–2

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	01 माह	कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड	–
2	विनिर्माण/ एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	45 दिन	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	
3	राज्य हेतु विक्रय प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना	मुख्य कृषि अधिकारी	30 दिन	अपर कृषि निदेशक, मुख्यालय	
4	जनपद में थोक एवं फुटकर विक्रय लाईसेन्स निर्गत किया जाना	संयुक्त कृषि निदेशक, गु0नि0, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	30 दिन	मुख्य कृषि अधिकारी	
5	विनिर्माण लाईसेन्स निर्गत किया जाना	कृषि रक्षा अधिकारी	30 दिन	संयुक्त कृषि निदेशक, गु0नि0, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	
6	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	मुख्य कृषि अधिकारी	15 दिन	कृषि रक्षा अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी
7	विक्रय एवं भंडारण हेतु लाईसेन्स निर्गत किया जाना	विकासखण्ड प्रभारी/ न्यायपंचायत प्रभारी	15 दिन	मुख्य कृषि अधिकारी	